तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/10/21	पत्रावली आज दिनांक 25.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 के तहत ग्राम पंचायत बाजला में आयोजित कैम्प के दौरान प्रस्तुत हुई। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया गया कि पत्रावली में पूर्व से तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट प्राप्त है दोनो रिपोर्ट में भिन्नता पाई जाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका जांच की गई। मौका जांच में तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मौके की स्थिति पाई गई। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बाजला से रामपुरा तक कटानी रास्ता व सड़क है जो ख0न0 86 गै0मु0 चारागाह से होकर गुजरता है। ख0न0 86 से प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 578/45 के मध्य खसरा नम्बर 85 रकबा 3.95 है0 के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नक्शे में अंकित बिंदू A से B तक प्रस्तावित रास्ते की दूरी न्यूनतम है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार है :– यह कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 44 रक़बा 0.55 है0 व खसरा नम्बर 578/45 रकबा 2.08 है0 आने जाने व काश्त करने के लिये भूमि खेत खसरा नम्बर 83, 84/402 व 45 वाके ग्राम बाजला में मौके पर प्रचलित रास्ते को कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया। प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार खेत खसरा नम्बर 83, 84/402 व 45 में मौके पर आने जाने हेतु कोई रास्ता व पगडंडी के निशान मौजूद नहीं मिले। मौका रिपोर्ट दिनांक 22.9.2021 के सलंग्न नक्शा ट्रेस से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251क के प्रावधानों का दुरूपयोग कर काश्तकारों को परेशान करने की नियत से चाहा गया है जबकि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 578/45 में आने जाने हेतु नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नम्बर 86 गै0मु0 चारागाह से खसरा नम्बर 85 के पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे लधुतम मार्ग उपलब्ध हो सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधरी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि – 1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है– तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर ऐे नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

FORM NO. III

APP - A
Orim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मलसीसर

अमरसिंह बनाम मोहनलाल

किस्म मुकदमा 251(A) नं. 46 सन 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विस्तारित मार्ग सें रास्ता चाहा गया है जबकि उसे निकटतम या लधुतम मार्ग से भी रास्ता उपलब्ध हो सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 22.9.2021 के सलंग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग होगा। प्रार्थी उपलब्ध लधुतम मार्ग से रास्ता चाहता है तो पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद मुतकिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मलसीसर	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर